न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00212

1. मथुरा बाई पुत्री श्री भूरा जाति मीणा निवासी भट्टो का नयागॉव ।
2. घींसी बाई पुत्री श्री भूरा जाति मीणा निवासी भट्टो का नयागॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. किशन गोपाल आत्मज भूरा जाति मीणा निवासी भट्टों का नयागॉव ।
2. नाथी बाई बेवा भूरा जाति मीणा निवासी भट्टों का नयागॉव ।
3. सुवा लाल आत्मज गोरधन जाति मीणा निवासी भट्टों का नयागॉव ।
4. रामफूल आत्मज गोरधन जाति मीणा निवासी भट्टों का नयागॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. जमना बाई पुत्री गोरधन जाति मीणा निवासी भट्टों का नयागॉव ।
6. गीताबाई पत्नी गोपाल जाति मीणा निवासी भट्टों का नयागॉव ।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर नैनवा शखा ।
8. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, नैनवा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजराज शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188 का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बाछौला तहसील नैनवा जिला बून्दी में कुल 13 किता की रकबा 56 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 08 के संयुक्त खातेदारी में स्थित है । वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 316 में वादी का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 309 में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है । वादी के पिता भूरा की सन् 2015 में मृत्यु हो चुकी है जिसका फौती इंतकाल संख्या 1787 द्वारा भूरा के वारिसान के रूप में वादी

एवं प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 08 का नाम दर्ज हो गया है जबकि वादी मीणा जाति के सदस्य हैं जिसमें मीणा जाति में प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार लडकियों को अपनी पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 8 के नाम के अंकन को विलोपित कर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के मध्य उक्त भूमि का विधिवत रूप से विभाजन किया जावे । वादी द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक भूरा के वारिसान में से प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के नाम अंकन विलोपित करें । अनुसूचित जनजाति के प्रचलित रीति–रिवाजों व नियमो के आधार पर वादी व वादी की मॉ प्रतिवादी क्रम 08 की वारिस हैं ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.06.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 6 व 7 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनाक 01.05.2017 का अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 9 को जरिये सम्मन तलब किये जाने का आदेश पारित कर तलबी हुत दिनांक 17.05.2017 पेशी नियत की किन्तु दिनांक 17.05.2017 की कोई आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय में नहीं लिखी गई । आदेशिका दिनांक 01.05.2017 के हाशिये में सम्मन जारी करना भी अंकित नहीं है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति हेतु कोई सम्मन जारी नहीं किये गये । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने कैम्प में ही वादपत्र में संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पेश किया जिसे अपीलान्ट की जानकारी के बिना स्वीकार कर संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.03.2018 को तब हुई जब वह अपने हिस्से की फसल की उपज लेने गयी जिस पर दिनांक 09.03.2018 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 16.03.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 किशन गोपाल ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । दावे में तलबी हुई दिनांक 17.05.2017 की तारीख पेशी नियत की थी । दिनांक 17.05.2017 की कोई आदेशिका अंकित नहीं की गई और दिनांक 27.06.2017 को पत्रावली लोक अदालत में वकील वादी और प्रतिवादीगण कम 6, 7 व 8 की उपस्थिति दर्ज की गई । शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है । न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है। लोक अदालत में आदेश 06 नियम 17 का प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया है । पक्षकारों के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये गये हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डब्ल्यूएलसी 2009 पेज 667 उद्वरत की।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिसमें पुत्र के रहते हुए पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्टगण ने अपना पूरा पता भी अंकित नहीं किया है जो पता अंकित किया गया है वो वास्तविक नहीं है । अपील विलम्ब से पेश की गई है यदि अपीलान्ट के पास कोई वसीयत थी तो आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश करनी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.06.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2014 (3) पेज 1132, डीएनजे 2014 (3) पेज 1050 उद्वरत की ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि दावे में जो पता अंकित किया गया था वो ही पता अपील मीमो में अंकित किया गया है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश होने के बाद तलबी हुई दिनांक 17.05.2017 की तारीख पेशी नियत की थी । दिनांक 17.05.2017 की कोई आदेशिका अंकित नहीं की गई है और दिनांक 27.06.2017 को पत्रावली लोक अदालत में रखी गई है । लोक अदालत में वकील वादी और प्रतिवादी कम 6, 7 व 8 की उपस्थिति दर्ज की गई है परन्तु उनके हस्ताक्षर अंकित नहीं करवाये गये हैं । न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थिति होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए, गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.10.2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा